कार्यालय कलेक्टर, जिला उज्जैन (म.प्र.)

क्रमांक/सामान्य-दो/2021/ 3893 उज्जैन, दिनांक 22.06.2021

- आदेश -

कोविड-19 (कोरोना वायरस) संक्रमण के बचाव एवं नियंत्रण हेतु लाकडाउन के कारण जिले के शासकीय/निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति समय पर जारी नहीं की जा सकी है।

अतः समस्त शासकीय/निजी महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी छात्र/छात्रा को मिलने वाली छात्रवृत्ति जमा न होने पर (शुल्क के अभाव में) परीक्षा फार्म जमा करने से या परीक्षा में बैठने से वंचित न किया जाए। यह रियायत केवल परीक्षा फार्म जमा करने व परीक्षा में बैठने तक के लिए दी जाती है। परीक्षा परिणाम घोषित करने के पूर्व फीस की अनिवार्यता का विकल्प रहेगा।

जिला संयोजक, जनजाति कार्य विभाग, जिला उज्जैन व सहायक संचालक, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जिला उज्जैन को निर्देशित किया जाता है कि जिले के समस्त शासकीय/निजी महाविद्यालयों की लंबित छात्रवृत्ति परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व जारी करना सुनिश्चित करें।

(आशीष सिंह)
कलेक्टर,
जिला उज्जैन

पृ.क्रमांक/सामान्य-दो/2021/ 3893 उज्जैन, दिनांक 22.06.2021

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
3. कुल सचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
4. जिला संयोजक, जनजाति कार्य विभाग, जिला उज्जैन की ओर पालनार्थ।
5. सहायक संचालक, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जिला उज्जैन की ओर तत्काल पालनार्थ।
6. समस्त प्राचार्य, शासकीय/निजी महाविद्यालय, जिला उज्जैन की ओर पालनार्थ।
7. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, जिला उज्जैन की ओर प्रकाशनार्थ।

कलेक्टर,
जिला उज्जैन

R/241
24/6/21

62
25-6-2021

DR (Adm)
24/6/21

A.R. SC/ST cell
25/6/21

S.O. (SC/ST cell)
25/06/2021